सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस

अपील संख्याः 61/18 **निर्णय दिनांकः– 16–08–2019**

1. रूपसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत निवासी भादला तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. भवानी सिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत निवासी भादला तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. भीमसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत निवासी भादला तहसील नोखा जिला बीकानेर।
4. मूल सिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत निवासी भादला तहसील नोखा जिला बीकानेर।
5. जीतू सिंह उर्फ रणजीत सिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत निवासी भादला तहसील नोखा जिला बीकानेर।
6. रामकंवर पुत्री मेघसिंह पत्नी गुमान सिंह जाति राजपूत निवासी भादला तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. श्रीमती गुलाब कंवर पत्नी ईश्वर सिंह जाति राजपूत निवासी प्रेमनगर खींवसर जिला जोधपुर।
2. नरपत सिंह पुत्र ईश्वर सिंह जाति राजपूत निवासी प्रेमनगर खींवसर जिला जोधपुर।
3. लक्ष्मण सिंह पुत्र ईश्वर सिंह जाति राजपूत निवासी प्रेमनगर खींवसर जिला जोधपुर।
4. गोविन्द सिंह पुत्र ईश्वर सिंह जाति राजपूत निवासी प्रेमनगर खींवसर जिला जोधपुर।
5. परबत सिंह पुत्र ईश्वर सिंह जाति राजपूत निवासी प्रेमनगर खींवसर जिला जोधपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोखा।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 20—07—2018
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

उपस्थितः

1. श्री राजेन्द्र शिमला, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के निर्णय व डिक्री दिनांक 20—07—2018 जिसके द्वारा अपीलांट का दावा विधि विरूद्व तरीके से खारिज किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् के दादा अमान सिंह की खातेदारी भूमि वाके रोही भादला के खसरा नम्बर 866 तादादी 20.85 हेक्टर, खसरा नम्बर 2299/865 तादादी 3.77 हेक्टर व खसरा नम्बर 2300/865 तादादी 5.21 हेक्टर कुल तादादी 29.83 हेक्टर भूमि स्थित है। अमान सिंह अपीलांट के दादा थे। जिनके जायन्दा वारिस मेघसिंह, इसर सिंह उर्फ रेवन्त सिंह एवं ईसरी सिंह थे। जिसमें से ईसरी सिंह हमीर सिंह खींवसर के गोद चले गये जहॉ उनका नाम ईसरी सिंह से ईश्वर सिंह हो गया। गोद जाने के कारण ईसरी सिंह का पिता की भूमि से उनका कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा। अमानी सिंह की सम्पति के केवल मेघसिंह व रेवन्त सिंह ही जायज हकदार थे व है। रेवन्तसिंह लाऔलाद फौत हो गये। ऐसी स्थिति में अपीलांट की एकमात्र जायज वारिसान होने के कारण अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा धोषणात्मक चिरनिषेधाज्ञा का अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व तरीके से ईश्वर सिंह पुत्र हमीर सिंह को अमान सिंह का वारिस मानते हुए वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार धोषित कर दिया गया।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र में अंकित तथ्यों तथा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर यह साबित किया गया था कि अपीलांट् ही अमान सिंह के विधिवत जायज वारिसान है। अतः वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों पर कतई गौर नहीं किया गया ना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र पर नियमानुसार तनकीयात् कायम की गई। जबकि वादपत्र में अंकित तथ्यों का निर्धारिण नियमानुसार तनीकयात् कायम करते हुए उनके समर्थन में साक्ष्य व सबूत पेश करते हुए उक्त तनकीयात् का निर्धारण किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा मात्र सरसरी तौर पर सीधे ही यह कहकर अपीलांट का दावा खारिज कर दिया गया कि वादी ने स्वयं के साक्ष्य पेश किये है जबकि अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे कि यह स्पष्ट होता हो कि ईसरीसिंह गोद पुत्र हमीरसिंह ने अपना बदलकर ईसरसिंह रख लिया हो। । जबकि प्रकरण में प्रतिवादीगण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने हक व हकूकों के संबंध में जवाब प्रस्तुत करते हुए चाराजोई करनी चाहिए थी। प्रकरण में प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स ना तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित आये है। जिससे प्रथम दृष्टया ही उनके आचरण को साबित करता है तथा वे जानबूझकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आ रहे है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत का उक्त निष्कर्ष प्रस्तुत दस्तावेजों व न्याय की मंशा व विधि के प्रतिकूल है। जिसे पारित करने में अदालत मातहत द्वारा कानूनी भूल कारित की गई है।

ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा तमाम तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए व उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र में बिना तनकीयात कायम किये व बिना साक्ष्य व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये मात्र सरसरी तौर पर आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल कारित की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाई जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने के उपरान्त भी वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व दिनांक 09—07—2019 को एकतरफा कार्यवाही की गई है।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट्/वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने कथन के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे साबित होता हो कि ईसर सिंह उर्फ रेवन्त सिंह लाऔलाद फौत हो गया हो तथा ना ही ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया जिससे वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट् का हक व हकूक साबित होता हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड के आधार पर ईसर सिंह पुत्र अमानसिंह को 1/2 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार धोषित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि वाके रोही भादला के खसरा नम्बर 866 तादादी 20.85 हेक्टर, खसरा नम्बर 2299/865 तादादी 3.77 हेक्टर व खसरा नम्बर 2300/865 तादादी 5.21 हेक्टर कुल तादादी 29.83 हेक्टर भूमि के बाबत् दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का दावा खारिज किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का दावा इस तथ्य के आधार पर खारिज किया गया है कि वादी ने स्वयं के साक्ष्य पेश किये है जबकि अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे कि यह स्पष्ट होता हो कि ईसरीसिंह गोद पुत्र हमीरसिंह ने अपना बदलकर ईसररसिंह रख लिया हो। ।

प्रकरण में वादिया द्वारा अदालत मातहत के समक्ष दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए के तहत प्रस्तुत किया गया था। अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष जैरकार वाद में वादपत्र/जवाबदावा आदि के आधार पर बिना तनकीयात् कायम किये व बिना साक्ष्य व सबूत का अवसर प्रदान किये आदेश जैर अपील पारित किया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा बिना वाद प्रक्रिया को अपनाये ही आदेश जैर अपील पारित किया जाना परिलक्षित होता है।

चूंकि प्रकरण में विवाद का मुख्य बिन्दु यह है कि क्या प्रतिवादी संख्या हमीर सिंह के गोद गया अथवा नहीं? इस संबंध में अदालत मातहत को चाहिए था कि वह संबंधित तहसीलदार से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्राप्त करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अपीलांटा जोकि हमीर सिंह का जाजय पुत्र है, के वादगत् भूमि पर हक व हकूकों का निर्धारण करने से पूर्व सम्पूर्ण तथ्यों की जॉच किया जाना अपरिहार्य था।

प्रकरण में प्रतिवादी हमीर सिंह का गोदपुत्र है अथवा नहीं?इस संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई गोदनामा आदि प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं इस संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। जबकि उक्त तथ्य को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था।

उपखण्ड अधिकारी, नोखा के समक्ष प्रस्तुत वाद धारा 88, व 188 का था। जिसमें प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड डाक से समन भेजने के उपरान्त भी सम्मन तामीली की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई तथा न ही वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को शपथ पत्र द्वारा प्रदर्शित करवाया गया। पत्रावली राजस्व शिविर का सहारा लेते हुए एकतरफा तौर पर निर्णित कर दी गई। जबकि वाद में साक्ष्य लेकर न्यायिक विवेचना करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए था किन्तु इस प्रकरण में वाद प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है, केवल मात्र निर्णय पारित करने के उद्वेश्य मात्र से बिना प्रक्रिया अपनाये, बिना साक्ष्य लिये सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। प्रश्नगत भूमि पर वादी/प्रतिवादीगणों के हक व हकूकों की समुचित जांच की जानी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि नहीं की जा सकती।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा का निर्णय व डिक्री दिनांक 20—07—2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है वाद प्रक्रिया को अपनाते हुए अपीलांट द्वारा

प्रस्तत दस्तावेजों को प्रदर्शित करने का मौका देते हुए व ईश्वर सिंह के वारिसों को सम्मन तामीली का समुचित प्रयास करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

9. निर्णय आज दिनांक 16—08—2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर